रजिस्ट्री सं० डी०(डी) 73

REGISTERED No. D(D)73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 1974/आषाढ़ 22, 1896

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 1974/ASADHA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1974

का० आ० 1710.—पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, पंजाब विश्वविद्यालय के अधिनियम सन् 1947 की धारा 10 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सूरजभान, जिनका कुलपति का सेवाकाल 30 जून, 1974 को समाप्त हो रहा है, को दिनांक 1 जुलाई, 1974 से 4 मास का अर्जित अवकाश तथा 6 मास का अर्धवेतन अवकाश की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[सं० वी० पी० एस०/पी० यू०वी०सी०/74]

वि० फड़के, सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 30th June, 1974.

S.O. 1710.—In exercise of the powers conferred by section 10 (3) of the Punjab University Act, 1947, the Chancellor of the Punjab University, Chandigarh, is pleased to grant four months refused leave and six months furlough (on half pay) with effect from 1-7-1974 to Shri Suraj Bhan, who is completing his term as Vice- Chancellor on 30th June, 1974.

[No. VPS/PU-VC/74]

V. PHADKE, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 14 जून, 1974

का० आ० 1711.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से, 12 जून, 1974 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्री टी० श्रीनिवासन के स्थान पर श्री एच० के० गाज़ी को तमिलनाडु राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/तमिलनाडु/74]

ए० एन० सैन, सचिव

42GI/74—1

भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय के का० आ० संख्या 955, तारीख 25 जून, 1962 की अधिसूचना की अनुसूची ख में —

(i) पैरा 3 में, खण्ड (क) में "उपाध्यक्ष (पदेन)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

(ii) पैरा 4 में "चार" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा ।

[एफ० 12-8/74 एन० एस० 4]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Education Department)

New Delhi, the 14th June, 1974

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890,

AND

In the matter of National Foundation for Teachers' Welfare, New Delhi.

S.O. 1743.—Whereas a General Committee was constituted for purposes of management and administration of the funds of the National Foundation for Teachers' Welfare under a scheme set out in Schedule B to the notification of the Government of India in the late Ministry of Education, No. S.O. 955, dated the 25th June, 1962;

And whereas the said General Committee have made an application for the modification of the said scheme as hereinafter contained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government, on application and with the concurrence of the said General Committee, hereby modifies the said scheme as hereinafter contained and further orders that the modified scheme shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

In Schedule B to the notification of the Government of India in the late Ministry of Education, No. S.O. 955, dated the 25th June, 1962,—

(i) In paragraph 3, in clause (a), the words and brackets "—Vice-Chairman (ex-officio)" shall be omitted;

(ii) In paragraph 4, for the word "four", the word "seven" shall be substituted.

[No. F. 12-8/74-NS. 4]

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के मामले में

और

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के मामले में

का० आ० 1744.—महा समिति, भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० संख्या 955, तारीख 25 जून, 1962 की अनुसूची (ख) में दी गई स्कीम के पैरा 8 की खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 17-90/61-ए-3, तारीख 25 जून, 1962 में प्रकाशित किए गए "राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के प्रशासन संबंधी नियम" में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

उक्त नियमों में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

2 "संक्षिप्त नाम

इन नियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान प्रशासन, नियम 1962 है ।

[एफ० 12-8/74-एन० एस० 4]

एस० एम० एस० चारी, सचिव-कोषाध्यक्ष,

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890.

AND

In the matter of National Foundation for Teachers' Welfare, New Delhi.

S.O. 1744.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of paragraph 8 of the Scheme set out in Schedule B to the notification of the Government of India in the late Ministry of Education, No. S. O. 955, dated the 25th June, 1962, the General Committee hereby makes the following rules further to amend the "Rules for the Administration of the National Foundation for Teachers' Welfare", published with the notification of the Government of India in the late Ministry of education, No. F. 17-90/61-A. 3, dated the 25th June, 1962, namely:—

In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Short title

These rules may be called the Administration of the National Foundation for Teachers Welfare Rules, 1962".

[No. F. 12-8/74-N.S. 4]

S. M. S. CHARI, Secy. Treasurer,

National Foundation for Teacher's Welfare

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

(पुरातत्व)

का०आ० 1745.—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 14 जुलाई, 1973 को प्रकाशित भारत सरकार के शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या का० आ० 1953, तारीख 19-6-1973 द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्व स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना दी है।

और यतः ऐसी घोषणा करने के बारे में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील या उपखंड	अवस्थिति	स्थल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पश्चिमी बंगाल	बर्दवान	दुर्गापुर	भरतपुर	सर्वेक्षण प्लाट सं० 571, 571/965, 2215 और 2216 में समाविष्ट प्राचीन स्तूप।

संरक्षण के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली राजस्व प्लाट संख्याएं	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सर्वेक्षण प्लाट सं० 571, 572/965, 2215 और 2216	6.19 एकड़	उत्तर सर्वेक्षण प्लाट पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं० 2033, 2034, 2040, 2041 और 2045 दक्षिण सर्वेक्षण प्लाट सं० 2211, 2212, 2213 और 2214 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं० 2217	नीजी	

[सं० 2/1/डब्ल्यूबी/1/71-एम]
एन० एन० देश पाण्डे, महानिदेशक
पदेन-संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st July 1974

(Archaeology)

S.O. 1745.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education Social Welfare and Culture, Archaeological Survey of India, No. S.O. 1953, dated 19-6-73 publisehd in part II, Section 3 Sub Section (ii) of the Gazette of India, dated the 14th July, 1973, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological site and remains specified in the Schedule below to be of national importance.

And, whereas, no objection have been received to the making of such declaration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological site and remains to be of national importance)

THE SCHEDULE

State	District	Tehsil or Sub division	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
West Bengal	Burdwan	Durgapur	Bharatpur	Ancinet mound comprised in Survey Plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216	Survey Plot Nos. 571,571/695, 2215 and 2216	6.49 acres	**North.''** Survey Plot No. 572 **East :** Survey plot No.s 2033, 2034, 2040, 2041 and 2045 **South :** Survey Plot No.s 2211, 2212, 2213, and 2214 **West :** Survey Plot No. 2217	Private	

[No. 2/1/WB01/71-M]
M. N. DESHPANDE, Director General
Ex-officio Joint Secy.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून 1974

का० आ० 1746.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जुलाई, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1 श्री बी० आर० चोपड़ा
2 श्रीमती शीला दुग्गल
3 श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त
4. श्री पी० सी० मैथ्यू